

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक -3/पी. एम. सी./प्र०स्वी०-06-2015/...../राँची/दिनांक.....

प्रेषक:

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया
उप सचिव (अभि.)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिनू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय: यॉत्रिक प्रमण्डल, मंडल (लातेहार), शिविर-मेदिनीनगर के प्रक्षेत्राधीन सोनरे वीयर योजना, चाको वीयर योजना एवं पीरी वीयर योजना के गेटों के निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य के लिए ₹1,04,06,000.00 (रु० एक करोड़ चार लाख छः हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत

1. यॉत्रिक प्रमण्डल, मंडल (लातेहार), शिविर-मेदिनीनगर के प्रक्षेत्राधीन सोनरे वीयर योजना, चाको वीयर योजना एवं पीरी वीयर योजना के गेटों के निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य के लिए ₹1,04,06,000.00 (रु० एक करोड़ चार लाख छः हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
(परिशिष्ट-I के अनुसार)
2. यॉत्रिक प्रमण्डल, मंडल (लातेहार), शिविर-मेदिनीनगर के प्रक्षेत्राधीन सोनरे वीयर, चाको वीयर योजना एवं पीरी वीयर योजना में क्षतिग्रस्त H/R Gates एवं C/R Gates के निर्माण एवं अधिष्ठापन, उत्तोलन प्रणाली, स्पीन्डल की आपूर्ति एवं इम्बेडेड चैनल का निर्माण कार्य का प्रावधान है।
3. इस कार्य के लिये कार्यपालक अभियंता (यॉत्रिक), यॉत्रिक प्रमण्डल, मंडल (लातेहार), शिविर-मेदिनीनगर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे एवं मुख्य अभियंता (यॉत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
4. इस कार्य पर होने वाला व्यय ₹1,04,06,000.00 /- लाख (i) मुख्य शीर्ष 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-43-अनुरक्षण मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) (ii) मुख्य शीर्ष 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-796-जन जातिय क्षेत्रीय उपयोजना-उपशीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-43-अनुरक्षण मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) (iii) मुख्य शीर्ष 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय-उपशीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-43-अनुरक्षण मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

5. इस कार्य का समावेश वर्ष 2015-16, के सी०ओ०बी०टी० में समेकित रूप में है।
6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम '300 का अनुपालन दृढता से किया जायेगा।
7. राशि की निकासी देवघर कोषागार से की जायेगी।
8. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
9. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2015-16, में प्रारंभ कर इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।
10. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
11. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुर्नस्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
12. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।
13. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
15. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक -3/पी. एम. सी./प्र०स्वी०-06-2015/...../राँची/दिनांक.....
प्रतिलिपि: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक -3/पी. एम. सी./प्र०स्वी०-06-2015/...../राँची/दिनांक.....
प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, लातेहार, झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक -3/पी. एम. सी./प्र०स्वी०-06-2015/...../राँची/दिनांक.....
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/संयुक्त सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग, राँची/अभियंता प्रमुख-1/II, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता (याँत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक) सिंचाई याँत्रिक अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, याँत्रिक प्रमण्डल, मंडल (लातेहार) शिविर-मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-3, राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक -3/पी. एम. सी./प्र०स्वी०-06-2015/...../राँची/दिनांक.....

प्रतिलिपि: आयुक्त, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि.)

पत्रांक -3/पी. एम. सी./प्र०स्वी०-06-2015/...../राँची/दिनांक.....

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि.)

पत्रांक -3/पी. एम. सी./प्र०स्वी०-06-2015/...../राँची/दिनांक 08.07.2015

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि.)

- (i) मुख्य शीर्ष 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-43-अनुरक्षण मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)
- (ii) मुख्य शीर्ष 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-796-जन जातिय क्षेत्रीय उपयोजना-उपशीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-43-अनुरक्षण मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)
- (iii) मुख्य शीर्ष 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय-उपशीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-43-अनुरक्षण मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री),

मुख्य अभियंता (याँत्रिक) अन्तर्गत योजनाओं का जीर्णोद्धार

(राशि रु० लाख में)

क्रमांक	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3
1	सोनरे वीयर योजना	26.46
2	चाको वीयर योजना	44.64
3	पीरी वीयर योजना	32.96
कुल प्रशासनिक स्वीकृति हेतु राशि :-		104.06

Rs. 104.06 Lakhs

(रुपये एक करोड़ चार लाख छः हजार मात्र)

तांक 16/15-16 प्र.सी. दिनांक 08.07.2015

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि०)

जल संसाधन विभाग, राँची।